पंचदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-05.03.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स० श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार, स०वि०स० श्री जावेद इकबाल अंसारी, स०वि०स०	"नवादा जिलान्तर्गत् रजौली थाना के शाहपुर मस्जिद के इमाम पर हमले की शिकायत लेकर श्री महबूब आलम, सहायक लोक अभियोजक, नवादा जब जुलाई, 2012 में थाना पर गए तो थाना प्रभारी ने उनको मार-पीट कर लॉकअप में बंद कर दिया । दूसरे दिन श्री आलम को कमर में रस्सा और हाथ में हथकड़ी पहनाकर कोर्ट परिसर में अवैधानिक तरीके से परेड करवाया, फलस्वरूप अधिवक्तागण आक्रोशित हो गए । मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नवादा ने 25.11.2012 को घटना का संज्ञान लेकर थाना प्रभारी को कोर्ट में उपस्थित होने का सम्मन भेजा । थाना प्रभारी द्वारा सम्मन की अनदेखी की गई, फलस्वरूप दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक, नवादा को उस थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया । पुलिस अधीक्षक द्वारा भी इसका अनुपालन नहीं किया गया । जब इस घटना को स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाता श्री एस० बी० सिन्हा द्वारा दिनांक-26.02.2013 को प्रकाश में लाया गया तो दिनांक-27.02.2013 को नवादा पुलिस ने उनके घर पर छापामारी कर दी । अत: नवादा पुलिस के इस आतंक को समाप्त करने एवं थाना प्रभारी, रजौली तथा पुलिस अधीक्षक, नवादा के विरूद्ध कानून का पालन नहीं करने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई करने की ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	गृह (आरक्षी)

1	2	3	4
2.	श्री अखतरूल इसलाम शाहिन, स०वि०स० श्री वृज किशोर सिंह, स०वि०स०	''बिहार उत्पाद कानून की कंडिका 61 के प्रावधानानुसार राज्य में देशी शराब के निर्माणशालाओं, गोदामों तथा विदेशी शराब के Bottling Plants की जाँच उत्पाद निरीक्षक मुख्यालय द्वारा करके उसका प्रतिवेदन उत्पाद आयुक्त को नियमित रूप से देना है । दुर्भाग्यवश, जुलाई, 2010 से नवम्बर, 2012 तक उक्त स्थानों का निरीक्षण उत्पाद निरीक्षक द्वारा नहीं किया गया, जिस कारण से शराब में उपयुक्त श्रेणी के स्प्रीट के स्थान पर औद्योगिक स्प्रीट का प्रयोग हुआ । फलस्वरूप जहरीली शराब के कारण गया, आरा, पटना में सैकड़ों लोगों की मौत हुई । ज्ञातव्य हो कि औद्योगिक स्प्रीट पर टैक्स की दर कम है तथा इस श्रेणी का स्प्रीट मानव शरीर पर प्रतिकूल असर डालता है । अतः विगत् तीन वर्षों में Bottling Plants का नियमित निरीक्षण नहीं करने वाले भ्रष्ट पदाधिकारी के विरूद्ध जाँच एवं कार्रवाई हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-11/13- 180 / वि०स०, पटना, दिनांक- 4 मार्च, 2013 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गृह (आरक्षी) विभाग तथा निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

04/3/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-11/13- 180 / वि०स०, पटना, दिनांक- 4 मार्च, 2013 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

04/3/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।